रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263268
CG-DL-E-21052025-263268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947
No. 374] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025

सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.125.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 2 के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) तथा धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 में, विनियम 17क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17ख. प्रतिदाय योजना का प्रस्तुत न किया जाना

जहां ऋणी द्वारा, संहिता की धारा 105 के अधीन कोई प्रतिदाय योजना तैयार नहीं की गई है वहां समाधान व्यावसायिक, लेनदारों के अनुमोदन से, कोई प्रतिदाय योजना प्रस्तुत न किए जाने की सूचना देते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगा और समुचित निर्देशों की ईप्सा करेगा।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./107/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 413, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.050, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 71, तारीख 31 जनवरी, 2024 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/आर.ई.जी.107, तारीख 31 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2025.

No. IBBI/2025-26/GN/REG125.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196, section 240 read with clause (e) of section 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, after regulation 17A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"17B. Non-submission of repayment plan

Where no repayment plan has been prepared by the debtor under section 105 of the Code, the resolution professional shall file an application, with the approval of creditors, before the Adjudicating Authority intimating the non-submission of a repayment plan and seek appropriate directions."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./107/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG050, dated 20th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 413 on 20th November, 2019 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG107, dated the 31st January, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 71 on 31st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA